

2088/87

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)**

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
41/22	212 RTA	इकडा	इकडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
प्रभूलाल	बनाम	घनश्याम वगैरे	

वकील :- R.P. Goyal

**आदेश पत्रक**

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
06/22	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 13/7/22 को पेश हो।	
13/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के वाद तालील सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी उम्मीद उपस्थित। प्रतिवादी 5 की ओर से श्री चिरी जी लाल भागीव हडवे का कानून नामा पेश हुआ। जावा एत सम्मन लाया है। बस्ते जाकर पत्रावली दिनांक 30/8/22 को पेश हो।	
30/8/22	अन्य गीतरीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 14/11/22 को पेश हो।  [Signature] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
14/11/22	अन्य गीतरीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 20/12/22 को पेश हो।  [Signature] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	

14/7/24

पत्रावली पेश हुई। व कुलार्फ फरीकोन उपरो। प्रतिवादी क्रम 5 की ओर से जवाब पेश नहीं किया है समय नगदा है। अग्रहित में अंतिम अवसर दिया जाता है वरिष्ठे जवाब प्रति क्रम 5 पत्रावली दिनांक 19/6/24 को पेश हो।

19.6.24

पत्रावली पेश हुई। व कुलार्फ फरीकोन उपरो। प्रतिवादी क्रम 5 की ओर से जवाब पेश नहीं। आपन्दा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब खंड कर दिया जावेगा। पत्रावली वरिष्ठे जवाब दिनांक 30.7.24 को पेश हो।

30.7.24

पत्रावली पेश हुई। व कुलार्फ फरीकोन उपरो। प्रतिवादी क्रम 5 की ओर से जवाब पेश नहीं। RS 100 का फर अंतिम अवसर दिया जाता है। आपन्दा जवाब पेश नहीं होने पर जवाब खंड कर दिया जावेगा। कोई अवसर नहीं दिया जावेगा। पत्रावली वरिष्ठे जवाब दिनांक 3.9.24 को पेश हो।

3.9.24

पत्रावली पेश हुई। व कुलार्फ फरीकोन उपरो। प्रतिवादी क्रम 5 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। लक्ष्य माटा है। RS 200/कां पर न्यायदिल के अंतिम अवसर दिया जाता है। आपन्दा कोई अवसर नहीं दिया जावेगा। जवाब खंड कर दिया जावेगा। पत्रावली वरिष्ठे जवाब दिनांक 8.10.24 को पेश हो।

8.10.24

पत्रावली पेश हुई। व कुलार्फ फरीकोन उपरो। वकीलप्राप्ती पत्रावली के आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वकील प्राप्ती द्वारा पत्रावली के Not press किया है। पत्रावली Not press के खारिज की जाती है। पत्रावली प्रैशत 25/11 होकर बाड वरिष्ठे वकील के राखिल इन्फर हो।

Not Answered

JM  
8/10/24